रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-20112021-231268
CG-UP-E-20112021-231268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
No. 660] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 819(अ).—समुद्री नौचालन सहायता (महानिदेशक के कर्तव्य) नियम, 2021 के प्रारूप के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार करती है, को समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए में जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; जैसा कि उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, निर्धारित अवधि के दौरान, उसे महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, ए-13, सेक्टर – 24, नोएडा, ईमेल noida-dgll@nic.in पर भेज सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के समापन के पूर्व किसी आक्षेप अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

प्रारंभिकी

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभता** :– (1) इन नियमों का नाम समुद्री नौचालन सहायता (महानिदेशक के कर्तव्य) नियम, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

2. **परिभाषाएं :** (1) इस नियमों में, जब तक कि विषय की अन्यथा आवश्यकता न हो,

(क) "अधिनियम" अर्थात समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021;

(ख) "महानिदेशालय" अर्थात समुद्री नौचालन सहायता महानिदेशालय;

(ग) "निदेशालय" अर्थात समुद्री नौचालन सहायता निदेशालय;

(घ) "महानिदेशक" अर्थात महानिदेशक, समुद्री नौचालन सहायता महानिदेशालय ;

(ङ) "निदेशक" अर्थात निदेशक, समुद्री नौचालन सहायता महानिदेशालय ;

(च) "जिला" अर्थात महानिदेशालय के प्रभावी कार्यकुशलता के उद्देश्य हेतु एक जिले के रूप में एक निर्धारित क्षेत्र;

(छ) "तार्यपथ" अर्थात पत्तन सीमा के बाहर नौगम्य जल ;

(ज) "सामान्य नौचालन सहायता" अर्थात केन्दीय सरकार द्वारा घोषित एक नौचालन सहायता ।

(झ) "विरासती दीपस्तंभ" अर्थात शासकीय गजट के माध्यम से अधिसूचित केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक दीपस्तंभ;

(ञ) "आई ए एल ए" अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस ऑथीरिटीज;

(ट) "आई ए एल ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए" अर्थात वर्ल्ड वाईड एकडेमी ऑफ इंटरनेशनल ऐसोसिएसन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन आथॉरिटीज;

(ठ) "प्रशिक्षण संस्थान" अर्थात समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान ।

(2) समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (यथा संशोधित) और सरकारी लेखा नियम, 1990 (यथा संशोधित) में प्रयुक्त शब्द एवं व्याख्या जो परिभाषित न की गई हो और अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, का इस अधिनियम में क्रमशः समान तात्पर्य प्रदान किया गया है।

समुद्री नौचालन सहायता महानिदेशालय

3. **महानिदेशक का संगठन** : (1) भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पोत यातायात सेवा सहित समुद्री नौचालन सहायता से संबंधित मामलों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी होगा।

(2) महानिदेशक द्वारा अधिनियम के खंड 5 के अनुसार पोत यातायात सेवा सहित समुद्री नौचालन सहायता के संदर्भ में समुद्री नौचालन सहायता के प्रशिक्षण और प्रमाणन से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया जाएगा।

(3) महानिदेशक द्वारा अधिनियम के अध्याय IV, खंड 8 और 9 के अनुसार सामान्य नौचालन सहायता के विकास, स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंधन का प्रयोग किया जाएगा।

(4) महानिदेशक द्वारा समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन), नियम, 2021 और समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यापन), नियम 2021 अधिनियम के अध्याय VII, खंड 18, 19 और 20 के अनुसार पोत यातायात सेवा सहित समुद्री नौचालन सहायता के कार्मिकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन सहित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन का प्रयोग महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

(5) महानिदेशक का मुख्यालय नौचालन सहायता महानिदेशालय, नोएडा होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अधिकारी और कर्मचारी महानिदेशक के सहायक होंगे।

(6) महानिदेशालय की प्रभावी कार्य पद्धति हेतु, भारत के संपूर्ण समुद्री तट को चिन्हित करते हुए समुद्री नौचालन सहायता के जिले के रूप में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले का क्षेत्राधिकार
1	गांधीधाम	गुजरात राज्य का भाग - अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा (आई बी एल) से अक्षांश 22°24'उ तक तटीय खंड और द्वीप का हिस्सा।
2	जामनगर	गुजरात राज्य का हिस्सा और केन्द्र शासित प्रदेश दीव 22°24'उ to 21°45'उ तक अक्षांश के मध्य खंड और द्वीप समूह, जिसमें कच्छ की खाडी और खम्बात की खाडी का क्षेत्र सम्मिलित है।
3	मुम्बई	गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश दमन का हिस्सा - 21°45' उ से 16°30' उ तक अक्षांश के मध्य तटीय खंड और द्वीप समूह।
4	गोवा	महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य और कर्नाटक राज्य का हिस्सा - 16°30' उ से 12°45' उ अक्षांश के मध्य तटीय खंड और द्वीप समूह ।
5	कोच्ची	केरल राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप - 12°45' उ से 08°17' उ अक्षांश के मध्य तटीय खंड और द्वीप समूह।
6	चैन्नई	मन्नार की खाडी सहित तमिलनाडु राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के के मध्य तटीय खंड और द्वीप।
7	विशाखापत्तनम	13°27'उ से 18° 12'उ अक्षांश के मध्य आन्ध्र प्रदेश राज्य के तटीय खंड और द्वीप समूह ।
8	कोलकाता	आन्ध्र प्रदेश राज्य, उडीसा राज्य और पश्चिम बंगाल का हिस्सा - 18°12'उ अक्षांश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा (आई बी एल) के मध्य तटीय खंड और द्वीप समूह।
9	पोर्ट ब्लेयर	संपूर्ण रूप से केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

टिप्पणी :

क. स्थानीय लाभ, तकनीकी स्थिरता और प्रशासनिक समीचीनता के आधार पर नौचालन सहायता का प्रशासन भिन्न हो सकता है, जिसे समय - समय पर महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

ख. तकनीकी प्रगति और व्यापार विकास के आधार पर, जिलों के क्षेत्राधिकार का पुनर्वितरण आवश्यक हो सकता है, जिसे महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति पर क्रियान्वित और अधिसूचित किया जाएगा।

7. निरीक्षण, निगरानी, संचालन और तकनीकी स्थिरता और प्रशासनिक सुविधा के लिए दो अथवा दो से अधिक जिलों को समूहीकृत किया जाएगा, और जिसका नेतृत्व उप महानिदेशक करेंगे।

8. प्रत्येक जिले के कार्यालय को समुद्री नौचालन सहायता निदेशालय के रूप में नामित किया जाएगा। उप-नियम 8 में उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी गांधीधाम के अतिरिक्त प्रत्येक जिले का प्रशासनिक प्रभार और नियंत्रण, निदेशक को प्रत्यायोजित किया जाएगा, जो संबंधित जिले की नौचालन सहायता के सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

9. गांधीधाम जिले, जिस में पोत यातायात सेवा की स्थापना है, के प्रशासनिक प्रभार और नियंत्रण, उप महानिदेशक प्रत्यायोजित किया जाएगा, जो अपने जिले के पोत यातायात सेवा सहित नौचालन सहायता के सामान्य प्रशासन हेतु महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

4. समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान और उसका परिसर : (1) समुद्री नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा हेतु प्रशिक्षण प्रदानगी से संबंधित कोलकाता में एक प्रशिक्षण संस्थान होगा।

(2) प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित सभी मामलों के लिए महानिदेशक जिम्मेदार होंगे।

(3) महानिदेशक, उप –नियम (2) के अधीन संदर्भित ऐसी जिम्मेदारी(यों) को उस अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, जो निदेशक के पद से नीचे के स्तर का न हो।

(4) केन्द्रीय सरकार, भारत के अन्य स्थानों पर, कुशल क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण संस्थान के उपग्रह परिसर की स्थापना कर सकती है।

(5) प्रशिक्षण संस्थान को नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा के क्षेत्र में वैश्विक विकास के साथ बने रहने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करना होगा। .

5. महानिदेशक के कर्तव्य: महानिदेशक निम्नलिखित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होंगे :-

(1) नौचालन सहायता के प्रमुख के रूप में प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय और वैधानिक कार्यों का निष्पादन।

(2) अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन।

(3) समुद्री नौचालन सहायता से संबंधित सभी मामलों के संदर्भ में भारत सरकार को परामर्श की प्रदानगी।

(4) समुद्री नौचालन सहायता (लेखा और वित्तीय शक्ति) नियम, 2021 के अनुसार समुद्री नौचालन सहायता शुल्क का प्रबंधन ।

(5) समुद्री नौचालन सहायता की केन्द्रीय दीपस्तंभ सलाहकार समिति के सदस्य सचिव की भूमिका का निर्वहन।

(6) इंटरनेशनल एसोसिएसन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (आई ए एल ए) में एक राष्ट्रीय सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करना।

(7) पोत यातायात सेवा सहित समुद्री नौचालन सहायता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क ।

(8) समुद्री नौचालन सहायता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों को क्रियान्वित करना, जिसमें भारत एक पक्ष है।

(9) समुद्री नौचालन सहायता के विकास और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों के संदर्भ में द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन/ देशों के साथ सहयोग ज्ञापन में सम्मिलित होना।

(10) नौचालन सुरक्षा पत्तन समिति (एन एस पी सी) के सदस्य के रूप में भूमिका का निर्वहन;

(11) अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के समुद्रीय तट के स्थानीय नौचालन सहायता का निरीक्षण करना।

(12) स्थानीय नौचालन सहायता के प्रावधानों और विस्तार के संदर्भ में राज्य सरकार, राज्य समुद्री बोर्ड, प्रमुख और लघु पत्तनों, मत्स्य विभाग और अन्य सहयोगी संगठनों को परामर्श प्रदानगी।

(13) केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार, भुगतान के आधार पर, संबंधित पोत यातायात सेवा प्रदाता के अनुरोध पर विशिष्ट पोत यातायात सेवा का प्रबंधन और प्रचालन ।

(14) समुद्री नौचालन सहायता के क्षेत्र में परीक्षण तल के विकास सहित विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान, विकास और अंगीकरण।

(15) समुद्री क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट पर सामान्य नौचालन सहायता की योजना, विकास, निष्पादन और प्रबंधन करना।

(16) समुद्री नौचालन सहायता का अनुकूलीकरण ।

(17) सामान्य नौचालन सहायता का अबाधित प्रचालन की सुविधा प्रदानगी।

(18) आई ए एल ए मानकों के अनुरूप निर्दिष्ट सटीकता सहित सामान्य नौचालन सहायता की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(19) सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन उद्देश्यों हेतु विरासती दीपस्तंभों से संबंधित योजना, विकास, निष्पादन और प्रबंधन ।

(20) समुद्री क्षेत्रों के साथ भारत की समुद्रीय तट रेखा सहित पोत यातायात सेवा के साथ समुद्री नौचालन सहायता के संवर्धनार्थ जोखिम मूल्यांकन नीति का निर्माण करना।

(21) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का विकास और प्रबंधन करना।

(22) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा कार्मिकों और उनके प्रशिक्षण की स्थिति से संबंधित राष्ट्रीय डाटा बैंक का प्रबंधन करना।

(23) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा कार्मिकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन ।

(24) प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन और अनुवर्ती लेखा परीक्षा।

(25) केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार तार्यपथ में पोतावशेषों को चिन्हित करना।

(26) नौचालन सहायता महानिदेशालय से संबंधित मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को आवधिक रूप में अवगत कराना।

(27) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य ।

6. **महानिदेशक की शक्तियां :** महानिदेशक का अधिकार:

(1) केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन विभाग के प्रमुख के रूप में प्रशासनिक, तकनिकी, वित्तीय और वैधानिक कार्यों हेतु शक्ति का प्रयोग करेंगे।

(2) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समय- समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(3) अधिनियम के दायरे में आंतरिक कार्य प्रचालन हेतु आदेश, नियमावली, सूचना, एसओपी, अनुदेश जारी करेंगे।

(4) समुद्री नौचालन सहायता शुल्क के संग्रहण और लौटाने के संदर्भ में दरों और पद्धति की समीक्षा सहित प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे।

(5) अध्यक्ष के परामर्श पर समुद्री नौचालन सहायता की केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करना और समुद्री नौचालन सहायता (केन्द्रीय सलाहकार समिति पद्धति), नियम 2021 के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले गैर – शासकीय सदस्यों को यात्रा व्यय स्वीकृत करेंगे।

(6) आई ए एल ए के तत्वाधान में आयोजित होने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं , संगोष्ठियों, सभाओं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति पर प्रतिनिधि मंडलों को नामांकित करेंगे।

(7) पोत यातायात सेवा सहित समुद्री नौचालन सहायता से संबंधित मामलों के संदर्भ में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रतिनिधित्व करने हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति पर प्रतिनिधि मंडलों को नामित करेंगे।

(8) समुद्री नौचालन सहायता और अन्य उभरते परिदृश्यों से संबंधित विषयों पर हितधारकों की बैठक का आयोजन करना।

(9) "स्थानीय" नौचालन सहायता का निरीक्षण और नौचालन सहायता के संबंध में स्थानीय प्राधिकारण से आवश्यक जानकारी की प्राप्ति और तत्पश्चात :-

(क) यदि किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उपचारी उपाय के सुझाव की प्रदानगी।

(ख) लागत के भुगतान के अनुरोध पर नौचालन सहायता की मरम्मत का कार्य आरंभ करना।

(10) समुद्री नौचालन सहायता के क्षेत्र में विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के साथ बने रहने के लिए अनुसंधान और विकास से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।

(11) सामान्य नौचालन सहायता के विकास, निष्पादन और प्रबंधन हेतु योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।

(12) समुद्री नौचालन सहायता के प्रचालन में हस्तक्षेप अथवा ब्यवधान डालने वाली गतिविधियों को आवश्यक समझे जाने पर प्रतिबंधित करने की कार्रवाई प्रारंभ करना।

(13) सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन उद्देश्यों हेतु विरासती दीपस्तंभों के विकास, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु योजनाओं को स्वीकृत

(14) संभावित दीपस्तंभों में पर्यटन को बढावा देने के लिए योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।

(15) नौचालन सहायता / पोत यातायात सेवा कार्मिकों के प्रशिक्षण प्रदान करने करने वाली संस्थाओं से प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी की मांग करना।

(16) समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021 और समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन) नियम, 2021 के अनुसार मान्यता, प्रशिक्षण और प्रमाणन से संबंधित मामलों का निपटान।

(17) प्रशिक्षण और प्रमाणन से संबंधित मामलों के संदर्भ में आई ए एल ए / आई ए एल ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए के साथ समझौता ज्ञापन / संस्थापन प्रलेख में सम्मिलित होना।

(18) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति पर, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार सामान्य नौचालन सहायता, विरासती दीपस्तंभ और पोत यातायात सेवा के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु पेशेवर सेवाओं और बाह्य व्यवस्था जनशक्ति को शामिल करना ।

(19) नौचालन सहायता / पोत यातायात सेवा के कार्मिकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन से संबंधित कार्य के निर्वहन हेतु संकाय और संसाधनों की बाह्यस्त्रोत व्यवस्था।

(20) समुद्री नौचालन सहायता महानिदेशालय के ध्वज कोड, प्रतीक और कार्मिकों की वर्दी कोड का निर्धारण।

(21) पोतावशेषों का चिन्हित करने संबंधी योजनाओं की स्वीकृती ।

(22) केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति पर, सामान्य नौचालन सहायता की स्थापना और रखरखाव हेतु आवश्यक वस्तुओं और सामग्री के आयात के संदर्भ में विदेशी मुद्रा का जारी किया जाना।

7. शक्तियों के प्रत्यायोजन का अधिकार : महानिदेशक, इन नियमों के अधीन किसी भी शक्ति अथवा अधिनियम अथवा अन्यथा प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्यथा, अपने अधिकारों को लिखित माध्यम द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों, यदि कोई हो, सहित प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

[फा. सं. एलएच-11012/2/2021- एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November 2021

G.S.R. 819(E).—The draft of the Marine Aids to Navigation (Duties of Director General) Rules, 2021, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), are hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by email at noida-dgll@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

Preliminary

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Duties of Director General) Rules, 2021.
   (2) It shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:** (1) In these rules, unless the content otherwise requires,
   (a) "Act" means Marine Aids to Navigation Act, 2021;
   (b) "Directorate General" means the Directorate General of Marine Aids to Navigation;
   (c) "Directorate" means Directorate of Marine Aids to Navigation;
   (d) "Director General" refers to Director General of Aids to Navigation;
   (e) "Director" means the Director of Aids to Navigation;
   (f) "District" means an area demarcated as a district for the purposes of effective functioning of the Directorate General;
   (g) "fairways" means navigable waters outside port limits;
   (h) "General aid to navigation" means an aid to navigation declared by the Central Government.
   (i) "heritage lighthouse" means a lighthouse designated by the Central Government through notification in the Official Gazette;
   (j) "IALA" means International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities;
   (k) "IALA WWA" means World Wide Academy of International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities;
   (l) "Training Institute" means the Marine Navigation Training Institute.

   (3) Words and expressions used but not defined in this rules and defined in the Marine Aids to Navigation Act 2021, General Financial Rules, 2017 (as amended) and Government Accounting Rules, 1990 (as amended) will have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

Directorate General of Marine Aids to Navigation

3. **Organisation of the Director General:** (1) The Government of India through Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall be the controlling authority for matters pertaining to Marine Aids to Navigation including Vessel Traffic Services.
   (2) The national and international obligations pertaining to Marine Aids to Navigation and Training & Certification on Marine Aids to Navigation including Vessel Traffic Service, shall be fulfilled by the Director General in accordance with Section 5 of the Act.
   (3) The development, establishment, maintenance and management of general aids to navigation shall be exercised by the Director General in accordance with Chapter IV, Sections 8 and 9 of the Act.
   (4) Training & Certification of personnel on Marine Aids to Navigation including Vessel Traffic Service as well as Accreditation of Training Organisations, shall be exercised by the Director General in accordance with the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021 and Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2021 framed under the ambit of Chapter VIII, Sections 18, 19 and 20 of the Act.
   (5) Headquarters of the Director General shall be the Directorate General of Aids to Navigation at Noida. The Director General will be assisted by officers and staff as sanctioned by the Central Government.
   (6) For the purpose of effective functioning of directorate general, the entire coastline of India shall be demarcated and defined as Districts of Marine Aids to Navigation as below:

Sr.No	Name of District	Jurisdiction of the District
1	Gandhidham	Part of State of Gujarat – Costal stretches and Islands between International Border Line (IBL) to Latitude 22°24'N.
2	Jamnagar	Part of State of Gujarat and Union Territory of Diu – Coastal stretches and Islands between Latitude from 22°24'N to 21°45'N including territory of Gulf of Kuchchh and Gulf of Kambhat.
3	Mumbai	Part of State of Gujarat, State of Maharashtra and Union Territory of Daman – Coastal stretches and Islands between Latitude from 21°45'N to 16°30'N.

4	Goa	Part of State of Maharashtra, State of Goa and State of Karnataka - Coastal stretches and Islands between Latitude from 16°30'N to 12°45'N.
5	Kochi	State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep - Coastal stretches and Islands between Latitude from 12°45'N to 08°17'N.
6	Chennai	Coastal stretches and Islands of State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry including Gulf of Mannar
7	Visakhapatnam	Coastal stretches and Islands of State of Andhra Pradesh between Latitude from 13°27'N to 18° 12'N
8	Kolkata	Part of State of Andhra Pradesh, State of Orissa and West Bengal – Coastal Stretches and Islands between Latitude from 18°12'N to International Border Line (IBL).
9	Port Blair	Entire Union Territory of Andaman and Nicobar Islands

Note:

a. The administration of certain aids to navigation might vary depending upon locational advantage, technical sustainability and administrative expediency, which shall be notified by the Director General from time to time.

b. Based on to the technological advancement and trade development, further redistribution of jurisdiction of districts might be necessary, which shall be implemented and notified by the Director General, with prior approval of the Central Government.

(7) Two or more Districts shall be grouped as zone for inspection, monitoring, operational & technical sustainability and administrative expediency, and shall be headed by the Deputy Director General.

(8) The office of each district will be designated as Directorate of Marine Aids to Navigation. Notwithstanding anything contained above in sub-rule 8, the administrative charge and control of each District, except Gandhidham, shall be delegated to the Director, who shall be responsible to the Director General for the general administration of Aids to Navigation of respective district.

(9) The administrative charge and control of Gandhidham District, having a Vessel Traffic Service setup, shall be delegated to the Deputy Director General who will be responsible to the Director General for the general administration of Aids to Navigation including vessel traffic services in his district.

4. Marine Navigation Training Institute and its campuses: (1) There shall be a Training Institute at Kolkata to impart training on Marine Aids to Navigation and Vessel Traffic Services.

(2) The Director General shall be responsible for all matters pertaining to the Training Institute.

(3) The Director General may delegate such responsibility(ies) referred to under sub-rule (2) to the officer not below the rank of Director.

(4) As a part of skilled capacity building, the Central Government may establish satellite campuses of the Training Institute at other locations in India.

(5) The Training Institute shall undertake Research & Development activities in the field of aids to navigation and vessel traffic services to remain abreast with the global developments.

5. Duties of Director General: The Director General shall be responsible for discharging the following duties:-

(1) Executing administrative, technical, financial and statutory functions as head of the Directorate General of Aids to Navigation.

(2) Implementing provisions of the Act.

(3) Advising the Government of India for all matters related to Marine Aids to Navigation.

(4) Managing the Marine Aids to Navigation Dues in accordance with the Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2021.

(5) Discharging the role of Member Secretary to the Central Advisory Committee on Marine Aids to Navigation.

(6) Representing as a national member at International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

(7) Liaisoning with national and international organisations on matters pertaining to Marine Aids to Navigation including Vessel Traffic Services.

(8) Implementing International Conventions and Treaties pertaining to Marine Aids to Navigation, to which India is a party.
(9) Entering into bilateral or multilateral memorandum of understanding/ memorandum of association with the countries on the matters related with development of Marine Aids to Navigation and training.
(10) Discharging the role of Member of Navigational Safety in Ports Committee (NSPC);
(11) Inspecting Local Aids to Navigation along the coastline of India including Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.
(12) Advising State Government, State Maritime Boards, Major and Minor Ports, Department of Fisheries and other sister organisations on the provision and improvement of Local Aids to Navigation.
(13) Managing and operating of certain Vessel Traffic Service, at the request of respective Vessel Traffic Service provider on payment basis, as per the direction of Central Government.
(14) Researching, developing and adopting of evolving technologies including development of test beds in the field of Marine Aids to Navigation.
(15) Planning, developing, executing and managing General Aids to Navigation along the coast line of India including the maritime zones.
(16) Harmonising operation of Marine Aids to Navigation.
(17) Facilitating unobstructed functioning of General Aids to Navigation.
(18) Ensuring uninterrupted availability of General Aids to Navigation with specified accuracy as per IALA standards.
(19) Planning, developing, executing and managing Heritage Lighthouses for cultural, educational and tourism purposes.
(20) Formulating risk assessment policy for augmentation of Marine Aids to Navigation including Vessel Traffic Services along the coast line of India including the maritime zones.
(21) Developing and managing a national training plan for capacity building in the field of Aids to Navigation and Vessel Traffic Service.
(22) Managing national data bank of Aids to Navigation and Vessel Traffic Service personnel and their status on training.
(23) Training and certification of Aids to Navigation and Vessel Traffic Service personnel.
(24) Accreditation of training organisations and follow-up audits.
(25) Marking of wrecks in fairways as per the direction of Central Government.
(26) Undertaking periodical appraisal to the Central Government on matters related to the Directorate General of Aids to Navigation.
(27) Any other duties as may be assigned by the Central Government from time to time.

6. Powers of Director General: The Director General shall be entitled to:

(1) Exercise administrative, technical, financial and statutory functions as the Head of the Department as vested under the rules of Central Government.
(2) Exercise the delegated powers issued by the Ministry of Port, Shipping and Waterways from time to time.
(3) Issue orders, manuals, notices, SoPs, instructions for internal functioning under the ambit of the Act.
(4) Implement the provisions of Marine Aids to Navigation dues including review of rates and modalities for collection and refund.
(5) Convene the meeting of Central Advisory Committee on Marine Aids to Navigation on the advice of chairman and to sanction travel expenses to non-official members to attend Central Advisory Committee on Marine Aids to Navigation Meetings in accordance with Marine Aids to Navigation (Central Advisory Committee Procedural) Rules, 2021.
(6) Nominate delegations to participate in the conferences, workshops, symposium, seminars and trainings organised under the aegis of IALA with the prior approval of the Central Government.
(7) Nominate delegations to represent in the bilateral and multilateral international forums on the matters related to Marine Aids to navigation including vessel traffic service with the prior approval of the Central Government.
(8) Convene meetings of stakeholders on the matters related to Marine Aids to Navigation and other related emerging scenarios.
(9) Inspect any "local" aids to navigation and seek required information from the local authority pertaining to respective Aids to Navigation and subsequently:-
    (a) Suggest corrective action, in case of any discrepancy observed.
    (b) Undertake restoration of Aids to Navigation service on request against payment of such cost.
(10) Sanction schemes pertaining to research and development to remain abreast with the evolving technologies in the field of Marine Aids to Navigation.
(11) Sanction schemes for development, execution and management of General Aids to Navigation.
(12) Initiate such action as may be necessary to restrict activities which interfere or obstruct the operation of aids to navigation.
(13) Sanction schemes for development, operation, maintenance and management of heritage lighthouses for cultural, educational and tourism purposes.

(14) Sanction schemes for promotion of tourism at potential lighthouses.
(15) Seek information on the training status of Aids to Navigation/ Vessel Traffic Service personnel from the respective providers of such training.
(16) Deal with matters pertaining to accreditation, training and certification in accordance with Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021and Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2021.
(17) Enter into memorandum of understanding/ memorandum of association with IALA / IALA WWA in the matters pertaining to training and certification.
(18) Engage professional services and outsourced manpower for development, operation and maintenance of General Aids to Navigation, Heritage Lighthouse and Vessel Traffic Service with the prior approval of the Central Government, as per the norms prescribed by the Central Government from time to time.
(19) Outsource faculty and resources for discharging the functions pertaining to training & certification of Aids to Navigation/ Vessel Traffic Service personnel.
(20) Administer the flag code, emblem and uniform code of personnel of the Directorate General of Marine Aids to Navigation.
(21) Sanction schemes for marking of wrecks.
(22) Release of foreign exchange for import of essential items & services for establishment and maintenance of General Aids to Navigation, subject to prior approval of scheme by the Central Government.

7. Power to Delegate: The Director General may delegate any of his powers under these rules or any of the powers delegated to the Director General under the Act or otherwise, to his officers by general or special order in writing, subject to such restrictions, limitations and conditions, if any.

[F. No- LH-11012/2/2021-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.20 15:51:51 +05'30'